

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला-सांचौर
पीठासीन अधिकारी :- प्रमोद कुमार (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण सं. 05/2023

किरम:- धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

प्रार्थीगण

1. चनणी देवी पत्नी ओपाराम।
 2. दिनेश कुमार पुत्र ओपाराम।
 3. प्रेमी पुत्री ओपाराम।
 4. भीखाराम पुत्र धीमाराम।
 5. रूगनाथ पुत्र धीमाराम।
 6. राजुराम पुत्र भगवानाराम।
 7. शांति देवी पत्नी राजुराम।
 8. सुरेश कुमार पुत्र ओपाराम।
- जातियान- विश्नोई निवासीगण सियागांव
(पूर) तहसील सांचौर जिला सांचौर

बनाम

- अप्रार्थीगण
1. बुधाराम पुत्र जोधाराम।
 2. भाखराराम पुत्र जगमाल।
 3. मंगलाराम पुत्र जगमाल।
 4. वगताराम पुत्र जोधाराम।
 5. हरिराम पुत्र जोधाराम।
- जातिया- विश्नोई निवासीगण- सियागांव
(पूर) तह-सांचौर जिला सांचौर।
6. तहसीलदार सांचौर

उपस्थित:-


1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 की ओर से अधिवक्ता श्री सदाराम विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 06 की ओर से राजपैरोकार तहसीलदार सांचौर।

निर्णय

दिनांक 08/05/2024

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री जयप्रकाश विश्नोई की ओर से अदालत हाजा में उपस्थित होकर धारा 131,136 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि नव सृजित ग्राम सियागांव पटवार हल्का पूर तह.सांचौर के पुराने खसरा नम्बर 202 व 203 रकवा क्रमशः 17 बीघा 8 बिस्वा, 3 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर नव सृजित ग्राम सियागांव पटवार हल्का पूर तह.सांचौर के खसरा नम्बर 352 रकवा 2.86 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काशत आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण की ढाणियां बनी हुई है एवं प्रार्थीगण का कब्जा काशत है। व ग्राम पूर के पुराने खसरा नम्बर 204 रकवा 4 बिस्वा जिसमें ग्राम पूर में से नव सृजित ग्राम सियागांव पटवार हल्का पूर तह.-सांचौर के नवीन खसरा नम्बर 351 रकवा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन अप्रार्थीगण 01 ता 05 की खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि है। जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है। द्वितीय सैटलमेंट के बाद ग्राम पूर के नक्शे में प्रार्थीगण के खेत के नक्शे में लिपीकीय त्रुटि से अप्रार्थीगण के नये खसरा नम्बर 351 अंकित कर दिया एवं अप्रार्थीगण के नक्शे में लिपीकीय त्रुटि से प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 352 अंकित कर दिया। अतएवं निवेदन है कि खेत खसरा नम्बर 352 रकवा 2.86 हैक्टर व खसरा नम्बर 351 रकवा 0.003 हैक्टर के नक्शे में लिपीकीय त्रुटि से गलत इन्द्राज कर दिया गया है, जो प्रार्थीगण के खेत के नक्शे में खसरा नम्बर 352 व अप्रार्थीगण के नक्शे में खसरा नम्बर 351 की नक्शे की दुरस्ती की जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ता 05 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 12.09.2023 उक्त आराजी पर इकवलिया से जवाब पेश कर कथन किया कि खेत खसरा नम्बर 352 रकवा 2.86 हैक्टर व खसरा नम्बर 351 रकवा 0.003 हैक्टर के नक्शे लिपीकीय त्रुटि से गलत इन्द्राज कर दिया है। जो खेत खसरा नम्बर 352 कि जगह खसरा नम्बर 351 व खसरा नम्बर 351 की जगह खसरा नम्बर 352 नक्शा ट्रेस में दुरस्ती किया जाना सही है


सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)



दिनांक 16.01.2024 को उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार सांचौर की रिपोर्ट अनुसार नव सृजित ग्राम सियागांव पटवार हल्का पूर तह. सांचौर के खसरा नम्बर 351 की बजाय 352 व 352 की बजाय 351 किया जाना प्रस्तावित है। खसरा नम्बर 351 में खातेदार चनणी देवी पत्नी ओपाराम, दिनेश कुमार पुत्र ओपाराम, धाई देवी पत्नी धीमा, प्रेमी पुत्री ओपाराम, भीखराम पुत्र धीमा, रूगनाथ पुत्र धीमा, राजुराम पुत्र भगवाना, शांति देवी पत्नी राजूराम, सुरेश कुमार पुत्र ओपाराम, का नाम दर्ज किया जावे। तथा खसरा नम्बर 352 की बजाय 351 में खातेदार बुधाराम पुत्र जोधा, भाखरा पुत्र जगमाल, मंगलाराम पुत्र जगमाल, वगताराम पुत्र जोधा, हरीराम पुत्र जोधा का नाम दर्ज किया जावे। रकबा वर्तमान जमाबंदी अनुसार बदस्तूर रहे। उक्त मौका प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण हाजीर आये और हस्ताक्षर अंगुठा किये गये।

उभय पक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया, कि खेत खसरा संख्या 352 रकबा 2.86 हैक्टर व खसरा नम्बर 351 रकबा 0.03 हैक्टर के नक्शे में लिपीकीय ऋटि से गलत इन्द्राज कर दिया है जो प्रार्थीयागण के खेत के नक्शे में खसरा नम्बर 352 व अप्रार्थीगण के नक्शे में खसरा नम्बर 351 की नक्शे में दुरस्ती की जावे। तथा उक्त लिपीकीय ऋटि को सुधारा जावे। पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। नव सृजित ग्राम सियागांव पटवार हल्का पूर तह. सांचौर के खसरा नम्बर 351 व 352 की मौका स्थिति देखने हेतु उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में खसरा नम्बर 351 की बजाय 352 व 352 की बजाय 351 किया जाना प्रस्तावित है। खसरा नम्बर 351 में खातेदार चनणी देवी पत्नी ओपाराम, दिनेश कुमार पुत्र ओपाराम, धाई देवी पत्नी धीमा, रूगनाथ पुत्र धीमा, प्रेमी पुत्री ओपाराम, भीखराम पुत्र धीमा, रूगनाथ पुत्र धीमा, राजुराम पुत्र भगवाना, शांति देवी पत्नी राजूराम, सुरेश कुमार पुत्र ओपाराम, का नाम दर्ज किया जावे। तथा खसरा नम्बर 352 की बजाय 351 में खातेदार बुधाराम पुत्र जोधा, भाखरा पुत्र जगमाल, मंगलाराम पुत्र जगमाल, वगताराम पुत्र जोधा, हरीराम पुत्र जोधा का नाम दर्ज किया जावे। रकबा वर्तमान जमाबंदी अनुसार बदस्तूर रहे। जैसा कि तहसीलदार सांचौर द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार सांचौर की रिपोर्ट दिनांक 16.01.2024 के मुताबिक मौजा नव सृजित ग्राम सियागांव पटवार हल्का पूर तह. सांचौर के खेत खसरा नम्बर 351 की बजाय 352 व 352 की बजाय 351 किया जाना प्रस्तावित हैं। खसरा नम्बर 351 में खातेदार चनणी देवी पत्नी ओपाराम, दिनेश कुमार पुत्र ओपाराम, धाई देवी पत्नी धीमा, प्रेमी पुत्री ओपाराम, भीखराम पुत्र धीमा, रूगनाथ पुत्र धीमा, राजुराम पुत्र भगवाना, शांति देवी पत्नी राजूराम, सुरेश कुमार पुत्र ओपाराम, का नाम दर्ज किया जावे। तथा खसरा नम्बर 352 की बजाय 351 में खातेदार बुधाराम पुत्र जोधा, भाखरा पुत्र जगमाल, मंगलाराम पुत्र जगमाल, वगताराम पुत्र जोधा, हरीराम पुत्र जोधा का नाम दर्ज किया जावे। रकबा वर्तमान जमाबंदी अनुसार बदस्तूर रहे। उपरोक्तानुसार तहसीलदार सांचौर की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.01.2024 के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरस्ती की जावे। उपरोक्त आशय की तहसीर तहसीलदार सांचौर को जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 08/05/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)